

आवटन

अनुदान स0-14

तेरह अंको का कोड-2515001010300

प्रषक,

निदेशक,

पंचायताराज, उ0प्र0।

सवा म,

जिला पंचायत राज अधिकारी/

आहरण-वितरण अधिकारी,

बदायूँ, देवरिया, मऊ, फिरोजाबाद, महोबा, औरैया तथा कौशाम्बी।

सख्या-1/222/2020-1/02/2020 : लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवटन।

महादय,

उपयुक्त विषयक प्रमुख साचेव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन क शासनादेश स0-21/2020/821/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू0-69,98,720/- (रू0 उन्हत्तर लाख अट्ठानबे हजार सात सौ बीस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवटित की जाती है:-

1. आवटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारा में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 क कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हा तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवटन एवं आवटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-4/2018/आर0जी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि का वतन मद में आहरित का जाय। गलत तथा आधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
11. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
12. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

● एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-


1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिफ्लेक्सलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. वर्ष 2020-21 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सचना दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-71 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भारतीय


  
(किंजल सिंह)  
निदेशक

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/222/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ, देवरिया, मऊ, फिरोजाबाद, महोबा, औरैया तथा कौशाम्बी।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2020-2021  
आवंटन दिनांक-07/08/2020

प्रषण संख्या:- 1-222-2020-01-02-2020  
आवंटन आदेश संख्या:- 003-01-02-2020  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायता राज  
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महगाई भत्ता	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3291961	0 559633	0 0	0 20000	29297 29297	0 246897	29297 4147788
2	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 2291184	0 389501	0 0	161750 181750	0 0	0 171839	161750 3034274
3	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2651342 4335348	443682 729963	0 0	0 20000	0 0	16620 142920	3111644 5228231
4	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3506867	0 596167	150000 150000	0 20000	0 0	0 263015	150000 4536049
5	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1935818	0 329089	0 0	0 20000	80524 80524	0 145186	80524 2510617
6	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2230357 3235281	379161 549998	0 0	0 20000	0 0	65901 141270	2675419 3946549
7	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	675012 1224400	115074 208470	0 0	0 20000	0 0	0 41204	790086 1494074
	योग	वर्तमान प्रगामी	5556711 19820859	937917 3362821	150000 150000	161750 301750	109821 109821	82521 1152331	6998720 24897582

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनहत्तर लाख अठानवे हजार सात सौ बीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तालीस लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ ब्यासी

(बृजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी